

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न ख : 4234
13 फ , 2019 प्रश्न त्त

स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्यवधक आहार संबंधी प्रारूप

4234. श्री वी०के० श्रीकंदन:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

- (क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्यवधक आहार) विनियमन, 2019 नामक एक प्रारूप विनियमन जारी किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि एफ०एस०एस०ए०आई० ने स्कूलों म जंक खाद्य पदार्थों को बेचे जाने और उनके विज्ञापन करने पर प्रतिबंध लगाने का भी निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या यह भी सच है कि एफ०एस०एस०ए०आई० ने इस संबंध म विभिन्न पणधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी ह; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध म अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

त्त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उ र्व (श्र्व श्वे)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (सुरक्षित खाद्य और स्कूली बच्चों के लिए स्वस्थ आहार) विनियम, 2019 का मसौदा भारत के राजपत्र म 30 अक्तूबर, 2019 को अधिसूचित किया है। विनियम मसौदा को प्रति <http://www.fssai.gov.in/notifications-archive.php?notification=draft-notification> लिंक पर उपलब्ध है।

(ग): खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत 'जंक फूड' को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, खाद्य सुरक्षा और मानक (सुरक्षित खाद्य और स्कूली बच्चों के लिए स्वस्थ आहार) विनियम, 2019 के मसौदे के अनुसार उच्च वसा, नमक और शकरा वाले खाद्य पदार्थों के विनिमाता खाद्य व्यवसाय प्रचालकों को स्कूल परिसर या परिसर के 50 मीटर के दायरे म न ही ऐसे खाद्य पदार्थों का विज्ञापन करना होता है और न ही मुफ्त बिक्री करनी होती है।

(घ) और (ङ): खाद्य सुरक्षा और मानक (सुरक्षित खाद्य और स्कूली बच्चों के लिए स्वस्थ आहार) विनियम, 2019 का मसौदा भारत के राजपत्र म 30 अक्तूबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और 04.11.2019 को 30 दिन के भीतर विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव मांगते हुए वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।
